न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 49 / 2008

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामी देवी पत्नी रामेश्वर।
2 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर।
3 सुरेश पुत्र रामेश्वर।
4 नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर।
5 नरेश पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
6 मनोहरी देवी पुत्री रामेश्वर लाल पत्नी ईश्वरलाल बिजारणियां जाति जाट निवासी चोखा का बास तहसील व जिला सीकर।
7 छोटी पुत्री रामेश्वर लाल जाति जाट पत्नी महावीर प्रसाद बिजारणियां निवासी चोखा का बास तहसील व जिला सीकर।
8 तारू देवी पुत्री रामेश्वर लाल पत्नी परमेश्वर लाल जाति जाट निवासी भड़कासली तहसील व जिला सीकर।
9 छोटी देवी उर्फ सरोज पुत्री रामेश्वर लाल पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी कटराथल दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती रूड़की बेवा उदाराम।
2 भगवाना पुत्र उदाराम।

Web Copy - Not Official

Lalo
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं

3 हेमाराम पुत्र उदाराम।
4 भींवाराम पुत्र उदाराम।
5 सोहनी पुत्री उदाराम।
6 कमला पुत्री उदाराम।
7 राधा पुत्री उदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
8 बेगा पुत्र कुशला।
9 रामदेव पुत्र कुशला।
10 गोमा पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
11 सुखदेवा पुत्र चौखा जरिये नेक्स्ड फ्रेड श्रीमती मोहनी पत्नी सुखदेवा निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर हाल पितृगृह तेजाराम मूण्ड निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 शान्ति देवी पत्नी मोहन पुत्र चौखा जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा जिला सीकर।
13 महेन्द्र पुत्र मोहन।
14 महेश पुत्र मोहन समस्त जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
15 करणा पुत्र चौखा जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा जिला सीकर।
16 छोटी पुत्री चौखा पत्नी पन्नालाल निवासी रामपुरा जिला सीकर।
17 बोगी पुत्री चौखा पत्नी दुलाराम जाट निवासी डालमास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 पारू पुत्री चौखा पत्नी जीवण जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
19 सिणगारी पुत्री चोखा पत्नी गणेशराम जाट निवासी खुर्दी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू अवाप्ति अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 भागोती पुत्री चौखा पत्नी मूलाराम जाट निवासी भदाल तहसील व ज़िला सीकर।

21 फूलचन्द दत्तक पुत्र गोदू पुत्र अर्जुन।

22 भागीरथ पुत्र अर्जुन समस्त जाति जाट निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

23 पूरकी पत्नी नानू।

24 फुलाराम पुत्र नानू।

25 हरीराम पुत्र नानू।

26 हरदयाल पुत्र नानू।

27 दानाराम पुत्र नानू।

28 संतोष पुत्री नानू।

29 रूकमा पुत्री नानू।

30 सुमित्रा पुत्री नानू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर दिनांक 15.04.08
जिसके अनुसार अपीलांट/वादीगण का दावा उनवानी
रामेश्वर रामी देवी वगैरह बनाम उदाराम रूड़की
वगैरह संख्या 304/97 खारिज किया गया है

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश गौरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुभाष सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—31.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद संख्या 304/1997 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट के पिता रामेश्वर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 33,33/150/1 वाके ग्राम सिंवसिंहपुरा के सन्दर्भ में धारा 88,188 एवं 136 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने

जवाब प्रस्तुत कर वाद कथन अस्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी खारिज किया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है।

दौराने अपील विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तामील से शेष रेस्पोडेंटस की तामील बन्द करने का निवेदन किया एवं अपील मेमों को ही बहस मानते हुये अपील निस्तारित करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नामान्तकरण, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी ग्राम शिवसिंहपुरा एवं जमाबंदी सवत् 2063–66 का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सम्बंध में न्यायालय से राजीनामा के आधार पर पूर्व में भी निर्णय हुआ, जिसकी प्रतिवाद में मुकदमा नम्बर 245/68 रामेश्वर बनाम गिद्वा, कुशला वगैरह के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गणेशराम के नाम उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा ही स्वीकार हुआ है एवं मौके पर उसी अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है एवं पर्चा लगान में भी रामेश्वर पिता गोविन्दा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। दिनांक 06.02.1968 को भरा गया नामान्तकरण भी 1/2 भाग की खातेदारी होना दर्शाता है। दिनांक 14.10.1969 को हुए राजीनामा की प्रति जिसमें भी वादी व प्रतिवादीगण की विभाजित 1/2, 1/2 भूमि के कब्जे काश्त का वर्णन है। अतः राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी संवत 2063–66 एंव उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी अपने वाद के समर्थन में पूर्ण रकबे पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने में

Lano
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किसी प्रकार के ठोस साक्ष्य से अपना पक्ष सिद्व करने में असमर्थ रहे है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है।जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही की है। हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर